बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 3

10 फाल्गुन, 1938 (श.)

बुधवार, तिथि --------------------------------

1 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 20

1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	08
2.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	05
3.	सहकारिता विभाग	....	....	03
4.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	03
5.	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	....	....	01
			कुल योग –	**20**

राजस्व की हानि

***** 36. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी शहर के मीना बाजार स्थित खास महाल की करोड़ों की जमीन पर विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि मीना बाजार के खास महाल की जमीन पर बड़े-बड़े दुकान एवं मकान बनाये गये हैं, लीजधारकों द्वारा अवैध लीज डीड बनाया गया है जिसमें विभागीय पदाधिकारी मकान-दुकान के साइज से 60 हजार से 2 लाख तक रुपये की उगाही करते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मीना बाजार ज्ञानबाबू चौक स्थित गोपाल साव विद्यालय के पीछे वाली जमीन खास महाल पर कई सालों से अवैध ढंग से हजारों दुकानों का निर्माण एवं पदाधिकारियों द्वारा दुकान-मकान को सिर्फ नोटिस भेजकर वसूली कर रहे पदाधिकारियों पर जांच कर निलंबित करते हुए सरकारी राजस्व की हानी को रोकना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल-जमाव से निजात

***** 37. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी शहर बसने के क्रम से ही यहां रहने वालों ने पानी की निकासी के लिए केनाल का निर्माण कराया था;

(ख) क्या यह सही है कि शहर में जल निकासी के लिए लगभग 4.5 किलोमीटर लम्बी तीन केनाल विभागीय उदासीनता के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि शहर की आबादी बढ़ती चली गई और केनाल का अतिक्रमण होता चला गया और सिकुड़ता केनाल गाद से भरता चला गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मधुबनी शहर को जल-जमाव से निजात दिलाने हेतु पूर्व में निर्मित वाटसन केनाल, किंग्स केनाल तथा राज केनाल को पुन: अपने अस्तित्व में लाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

धान खरीद पर बोनस

***** 38. **श्री मंगल पाण्डेय** एवं **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने 2016-17 में घोषणा की थी कि 15 नवम्बर, 2016 से धान की खरीद प्रारंभ हो जायेगी जिसमें 30 लाख टन से अधिक खरीदने की बात कही गयी है, लेकिन 53 दिन बीतने के बाद अबतक 7.1.2017 तक मात्र 60 टन ही धान की खरीद हो पाई है;

(ख) क्या यह सही है कि धान की खरीद का सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की कीमत 1470 रुपये निर्धारित थी, परन्तु 1000 रुपया प्रति क्विंटल धान किसान बेचने पर मजबूर हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कितना क्रय हुआ उसका जिलावार आंकड़ा बताएगी तथा किसान को धान के उचित मूल्य यानी सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का विचार रखते हुए सरकार बोनस देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

किसान लाभान्वित कबतक

***** 39. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों के धान क्रय हेतु धान केन्द्र खोला गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने किसानों के धान क्रय हेतु पिछले वर्ष 300 रुपये प्रति क्विंटल पर बोनस की घोषणा की थी;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों के धान अधिकतर क्रय केन्द्र द्वारा सूखा का बहाना बनाकर नहीं लिया जा रहा है एवं किसान अपना धान बिचौलियों के हाथ बेचने को मजबूर हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किसानों का धान खरीदते हुए बोनस देना चाहती है एवं बिचौलियों पर सख्त कदम उठाकर किसानों को लाभान्वित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लम्बित मामले का निष्पादन

***** 40. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कई जिलों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अवैध कब्जे के मामले हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमण के इन मामलों को जानबूझकर न्यायालयों में सालों तक लटकाया जाता है, ढाई सौ एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने एवं न्यायालयों में लंबित मामले का निष्पादन कराने हेतु कोई ठोस योजना बनाकर कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जमीन की अतिक्रमण से मुक्ति कबतक

***** 41. **श्री नीरज कुमार** एवं **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कई जिलों में पोखर, मन, झील, आहर, पईन, नहर, नाला, नदियां आदि सार्वजनिक जल स्रोत अतिक्रमण का शिकार बने हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन जगहों पर अतिक्रमण कर भवन बना लिए गए हैं और कई जगह पर तो यह जमीन की खरीद-बिक्री तक हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में इस तरह की अतिक्रमित जमीन को मुक्त करते हुए जलस्रोत को विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अनियमितता की जांच

***** 42. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विभाग गरीब परिवारों के लिए विभिन्न पंचायतों के माध्यम से किरासन कूपन देने की व्यवस्था करता है, ताकि वे अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिलों में किरासन कूपन में काफी अनियमितता हुई है तथा आये दिन लोगों की पंचायतों में नोंक-झोंक होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त जिलों में किरासन कूपन वितरण करने में हुई अनियमितताओं की जांच कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

निबंधन के लिए विकल्प

***** 43. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा घोषित किसानों की धान अधिप्राप्ति के लिए ऑन लाइन निबंधन प्रक्रिया को पूर्णरूपेण लागू करने में विभाग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति में समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड में हमेशा सरवर डाउन रहने के कारण नेटवर्क की समस्या होती है, जिससे हजारों किसानों के निबंधन की पुष्टि नहीं हो पा रही है, फलत: किसान खासे परेशान हैं और नौबतपुर में दो हजार के विरुद्ध मात्र 266 किसानों के आवेदन की ही बी.सी.ओ. द्वारा पुष्टि हो पायी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि विभाग एवं किसानों की धान अधिप्राप्ति के निबंधन के लिए तत्काल कौन-सा विकल्प पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो क्यों?

निगरानी से जांच कबतक

***** 44. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत विशुनदयाल पन्नालाल नामक थोक विक्रेता की वर्मा एजेंसी, सूर्यगढ़ा के द्वारा सूर्यगढ़ा एवं लखीसराय में 1.90 रु. प्रति लीटर किरासन तेल जन वितरण प्रणाली की दुकानों से वसूला जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये किरासन की मात्रा भी काफी कम रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थोक विक्रेता का लाइसेंस रद्द करते हुए उसके विरुद्ध निगरानी विभाग से जांच कराकर उसकी पूरी संपत्ति जब्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

***** 45. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के बुद्ध मूर्ति, कदमकुआं में राजकीय नेत्रहीन विद्यालय के पास दुकान नं. 1 एवं 2 फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर पक्का बनाया गया है और उक्त दोनों दुकानों का अवैध तरीके से दुकानदार से मिलकर निगम के कर की रसीद काटी जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फुटपाथ से इस अवैध अतिक्रमण को मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षण संस्थान की जमीन पर अतिक्रमण

***** 46. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थान की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इसके कारण संस्थान के प्रधान एवं शिक्षकों को अकारण भय बना रहता है जिसका प्रभाव पठन-पाठन पर पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार ऐसे संस्थानों को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मूर्तियों का समुचित रख-रखाव

***** 47. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राजधानी में महापुरुषों की प्रतिमाओं को सजावट के बीच रखने की कवायद पटना में नहीं के बराबर होती जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इन महापुरुषों की प्रतिमाओं के रख-रखाव की जिम्मेवारी नाममात्र है, केवल इनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि के मौके पर इन्हें याद किया जाता है, इन्हीं मौकों पर इन मूर्तियों की साफ-सफाई भी की जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि इन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर धूल की मोटी परत चढ़ जाती है, सिर से लेकर चेहरे और वस्त्र तक चिड़िया की गंदगी से पटी हुई मिलती है;

(घ) क्या यह सही है कि मेंटेनेंस का जिम्मा संभालने वाले कभी प्रतिमा वाले गोलंबर के अंदर लगे फूलों के पौधे की चिंता कर रहे होते तो कभी बाहरी रेलिंग पर माला लगाकर चमका हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजधानी में लगी महापुरुषों की मूर्तियों का समुचित रख-रखाव कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सूचनाएं उपलब्ध कबतक

***** 48. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सूचना का अधिकार कानून राज्य में पूरी तरह फ्लॉप है;

(ख) क्या यह सही है कि सूचना का अधिकार कानून की धारा 4(1) (बी) के तहत प्रत्येक विभाग को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं डिसप्ले करनी है जिसका कहीं भी पालन नहीं हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 के बाद से आयोग की वेबसाइट अपडेट नहीं की गई है जिसके कारण आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कानून के अंतर्गत आमजनों को सूचनाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का जीर्णोद्धार कबतक

***** 49. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड नं.-05 के अंतर्गत आनेवाला समनपुरा (राजा बाजार) के पारस हॉस्पीटल से लेकर संगम अपार्टमेंट के मध्य का रास्ता वाटर सप्लाइ के पाइप फटने के कारण पानी से भर जाता है तथा वहां की सड़क गड्ढा में तब्दील हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर पानी लगा रहने एवं गड्ढा होने के कारण लोगों को मस्जिद आने-जाने एवं अन्य कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में वाटर पाइप बदलने एवं सड़क पुनर्निर्माण करने का कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

भूमिहीन को जमीन नहीं

***** 50. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के गरीब भूमिहीनों को बासगीत भूमि 5-5 डिसमिल देकर पुनर्वासित करने की योजना है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि राज्य के कितने शहरी क्षेत्रों में गरीब भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को बासगीत भूमि निवास हेतु कबतक देना चाहती है?

अनधिकृत रूप से कब्जा

***** 51. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पंडारक प्रखंड के थाना भदौर के बकवां गांव के श्री अशोक सिंह, पिता - रामजन्म सिंह एवं राम सिंह , पिता - श्री कृष्णमोहन सिंह द्वारा आम गैर मजरूआ जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि प्लॉट संख्या 1290, राजस्व थाना नं. -307 जो आम गैरमजरूआ पईन है जिससे जल निकासी एवं समय-समय पर सिंचाई का भी कार्य होता है;

(ग) क्या यह सही है कि जल निकासी बाधित हो जाने से ग्रामीण सड़क पर जल-जमाव हो जाता है और लोगों का आना-जाना दुर्लभ हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आम जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब अनधिकृत रूप से कब्जा कर बनाये जा रहे मकान के निर्माण को रोकना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

***** 52. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-16 में अवस्थित मुहल्ला बीर कुंवर सिंह नगर, रोड नं.-1 (जक्कनपुर, जनता रोड) का भूगर्भ नाला एवं चार सौ फीट की सड़क कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि क्षतिग्रस्त नाला एवं सड़क के अगल-बगल की सभी सड़कें बन चुकी हैं;

(ग) क्या यह सही है कि प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के आदेश के बाद भी किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित मुहल्ला का भूगर्भ नाला/सड़क का कार्य मार्च, 2017 तक पूरा करेगी?

रसीद अपने गृह जिला से कटवाने का विचार कबतक

***** 53. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के बड़हारा प्रखंड में नेकनाथ टोला पंचायत है;

(ख) क्या यह सही है कि बड़हारा पंचायत के नेकनाथ टोला पंचायत सहित कई गांव शिवदेगरी मौजा है, आज भी इस गांव का राजस्व रसीद सारण जिला (छपरा) से कटवाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि आज भी उक्त गांव के किसानों को गंगा पार होकर रसीद कटवाने सारण जिला के छपरा जाना पड़ता है जो भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त गांव का विकास कार्य अभी भी भोजपुर जिला से होता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उक्त गांव की रसीद भोजपुर जिला में कटवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

बंद गोदाम को खोलने की कार्रवाई

***** 54. **श्री रणविजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एसएफसी का गोदाम बंद रहने से जनवितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं तक खाद्यान पहुंचने की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गोदाम में ताला लटक जाने से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रखंड में खाद्यान्न का उठाव और वितरण का कार्य अपडेट नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बंद गोदाम को कबतक खोलना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 55. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बिथोशरीफ में शिव मंदिर के सामने स्थित तालाब/पोखर का अतिक्रमण गांव के ही दबंग लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तालाब/पोखर बिहार सरकार की है, जो करीब 89 डिसमिल जमीन है, जिसे दबंगई के बल पर तालाब को भरकर अतिक्रमणकारियों द्वारा मकान बना लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' में वर्णित तालाब को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना चाहती है और गैर कानूनी रूप से मकान बनाकर रहने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 1 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्